भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-693

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

सीसीटीएस के तहत औद्योगिक क्षेत्रों का विकार्बनीकरण

693. श्री गणेश सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के अंतर्गत कोई ठोस रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य घटक क्या हैं और इनका कार्यान्वयन तंत्र क्या है;

(ग) प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना से सीसीटीएस में परिवर्तन के लिए अनिवार्य अनुपालन तंत्र के अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र लाए गए हैं और क्या विद्युत क्षेत्र को भी उक्त तंत्र के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश, खासकर सतना जिले में बड़े पैमाने पर काम कर रहे सीमेंट, चूना पत्थर और दूसरे खनिज आधारित उद्योग को सीसीटीएस अनुपालन या ऑफ़सेट मैकेनिज्म के तहत लाने का प्रस्ताव है, ताकि प्रादेशिक उद्योगों को भी विकार्बनीकरण और कार्बन क्रेडिट ट्रेड का लाभ मिल सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अंतर्गत भारतीय कार्बन बाजार के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। संस्थागत संरचना में विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों की सह-अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति शामिल है, जिसमें ग्रिड इंडिया रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है।

सीसीटीएस दो तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, बाध्य संस्थाओं के रूप में नामित उत्सर्जन गहन उद्योगों से उन्हें सौंपे गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता (जीईआई) लक्ष्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है और जो संस्थाएं अपने लक्ष्यों को बेहतर बनाती हैं, वे कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्य संस्थाएं स्वेच्छा से उन परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं जो कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं, हटाती हैं या रोकती हैं।

(ग) : निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम से सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र में परिवर्तित क्षेत्रों में एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी और कागज और वस्त्र शामिल हैं। ताप विद्युत संयंत्रों को पीएटी स्कीम से सीसीटीएस अनुपालन तंत्र में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(घ) : सीमेंट क्षेत्र पहले से ही सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत कवर किया गया है। देश भर में कुल 187 सीमेंट संयंत्रों को जीईआई कटौती लक्ष्य दिए गए हैं। सतना जिले में स्थित सीमेंट संयंत्रों सहित मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्रों का विवरण, जिनके लिए लक्ष्य अनिवार्य किए गए हैं, अनुबंध पर दिए गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 693

अनुबंध

क्रम सं.	बाध्यकारी एंटिटी का नाम
1	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट -धार सीमेंट वर्क्स, टोंकी, मनावर, धार, मध्य प्रदेश-454446
2	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (विक्रमसीमेंट वर्क्स), पी.ओ. खोर जिला-नीमच, मध्य प्रदेश-458470
3	रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मैहर/भरौली, इटहारा, सतना, मध्य प्रदेश-485773
4	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, प्रिज्म सीमेंट वर्क्स, सतना, विलेज मनकहारी तहसी, मध्य प्रदेश, 485111
5	प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, यूनिट-II, मनकहारी, बठिया, सतना, मध्य प्रदेश, 485111
6	बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सतना सीमेंट वर्क्स), पी.ओ. बिरला विकास, जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485005
7	एसीसी लिमिटेड (कायमोर सीमेंट लिमिटेड), पी.ओ. कायमोर तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी-483 880, मध्य प्रदेश
8	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड- सीधी सीमेंट वर्क्स, ग्राम- मझिगवां, पी.ओ. भरतपुर, तहसील-रामपुर नैकिन, जिला सीधी, 486776
9	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: मैहर सीमेंट यूनिट-2', सतना, पोस्ट-सरलानगर मैहर जिला-सतना, मध्य प्रदेश- 485772
10	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट: मैहर सीमेंट, सतना, पोस्ट-सरलानगर मैहर जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485772
11	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, यूनिट:मैहर सीमेंट, सतना, पोस्ट-सरलानगर मैहर जिला- सतना, मध्य प्रदेश-485772
12	केजेएस सीमेंट (I) लिमिटेड, वर्क्स:- एनएच-7, राज नगर, रीवा रोड, गाँव-अमिलिया, पोस्ट ऑफिस: मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश-485771
13	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड - बेलासीमेंट वर्क्स. पी.ओ. जेपीनगर जिला. रीवा, मध्य प्रदेश-486450
14	डायमंड सीमेंट प्रॉप. हीडलबर्ग सीमेंट, दमोह, गांव नरसिंहगढ़ जिला- दमोह, मध्य प्रदेश-470675
15	हीडलबर्ग सीमेंट (I) लिमिटेड, दमोह, मध्य प्रदेश - 470661

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-714
दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

†714. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनटीपीसी बोर्ड द्वारा पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण-II (3×800 मेगावाट) के लिए नवंबर 2024 में मंज़ूर किए गए 29,344.85 करोड़ रुपये के निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के चरण-I। के अंतर्गत 800 मेगावाट की तीन इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने और चालू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण एवं कार्यात्मक चरणों के दौरान पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के लिए रोजगार सृजन की क्या योजना है;

(घ) विशेषकर पेद्दापल्ली जिले में अतिरिक्त 2400 मेगावाट क्षमता के लिए खान से कोयला सोर्सिंग रणनीति आवंटन का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) तेलंगाना राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के दौरान बिजली की लागत से जुड़ी चिंताओं को व्यक्त करने के बावजूद प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक महारत्न सीपीएसई है और इसके बोर्ड ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली-जिले में रामागुंडम में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-II (3 x 800 मेगावाट) के लिए नवंबर, 2024 में 29,344.85 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। अनुमोदित निवेश का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : एनटीपीसी लिमिटेड ने मुख्य संयंत्र पैकेज के अवार्ड से चरण-II (3 x 800 मेगावाट) के निर्माण, प्रारंभ और चालू करने तक समयसीमा चौंसठ (64) महीने निर्धारित की है। मुख्य संयंत्र अवार्ड लाभार्थियों द्वारा विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के अध्यधीन है। एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ तेलंगाना सरकार के साथ लगातार काम कर रही है।

(ग) : ठेका अवार्ड होने के बाद, ठेकेदार सिविल कार्यों, सामग्री हैंडलिंग, हाउसकीपिंग और निर्माण से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसी निर्माण गतिविधियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देकर अकुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति को शामिल करेगा। एनटीपीसी-रामागुंडम और तेलंगाना ने परियोजना से संबंधित भूमिकाओं के लिए स्थानीय उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रमों के तहत कौशल विकास भी शुरू किया है।

प्रचालन चरण में, स्थानीय निवासियों के लिए संयंत्र रखरखाव, टाउनशिप प्रचालन, परिवहन, हाउसकीपिंग और स्थानीय जुड़ाव के लिए निरंतर वरीयता के साथ अन्य सहायता सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आउटसोर्स सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

एनटीपीसी-रामागुंडम और तेलंगाना परियोजनाएं स्थानीय रोजगार का समर्थन करने और पेडापल्ली क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(घ) और (ङ) : कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) [एसएलसी (एलटी)] ने शक्ति नीति के पैरा ख(i) के अंतर्गत 3 × 800 मेगावाट यूनिट वाले तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) चरण-II की अतिरिक्त 2400 मेगावाट क्षमता के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) से एनटीपीसी लिमिटेड को दीर्घकालिक कोयला लिंकेज प्रदान करने की सिफारिश की है।

तथापि, आंध्र प्रदेश डिस्कॉम ने मुख्य रूप से एससीएल से प्राप्त कोयले की उच्च लागत के कारण सांकेतिक ऊर्जा शुल्क दर (ईसीआर) की व्यवहार्यता के बारे में चिंता व्यक्त की थी। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और एससीसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की अवतरित लागत से मेल खाती कीमत पर तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-**II** को कोयले की आपूर्ति का स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है। यह आश्वासन एपी डिस्कॉम की ईंधन लागत और अनुमानित परिवर्तनीय प्रभारों के संबंध में पहले से जाहिर की गई चिंताओं को पूरी तरह से दूर करता है। कोयला मूल्य निर्धारण अब एसईसीएल बेंचमार्क और फ्लू गैस डी-सल्फ्यूराइजेशन (एफजीडी) आवश्यकता से छूट के अनुरूप होने के साथ, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-**II** के लिए समग्र टैरिफ काफी अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। इससे एनटीपीसी लिमिटेड एक बार फिर पीपीए हस्ताक्षर के लिए विभिन्न डिस्कॉम के साथ काम कर रहा है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 714

अनुबंध

तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-II (3 x 800 मेगावाट) के लिए अनुमोदित निवेश का विवरण :

क्र. सं.	**पैकेज**	**जीएसटी सहित लागत (करोड़ रुपये में)**
1	एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ बॉयलर टरबाइन जनरेटर (बीटीजी) पैकेज	15,992.20
2	शेष संयंत्र (बीओपी) पैकेज	7,247.55
3	रेलवे साइडिंग	771.84
4	भूमि	20.00
5	ऐश डाइक	150.00
6	अवसंरचना	265.00
7	विविध- अग्रिम व्यय और साइट सुविधा कार्य, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)/ सामुदायिक विकास (सीडी) कार्य, ग्रीन बेल्ट और प्रूफ चेकिंग	157.71
8	आकस्मिकता	245.84
9	परियोजना प्रबंधन लागत	869.76
10	कमीशनिंग पूर्व	596.40
11	निर्माण एवं वित्तपोषण प्रभार के दौरान ब्याज	3,028.54
	कुल परियोजना लागत	29,344.85

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-757

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता

757. श्री राहुल कस्वां:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में वर्तमान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता (मेगावाट/गीगावाट) कितनी है और विगत पाँच वर्षों के दौरान इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या राज्य में सौर परियोजनाओं को विद्युत ग्रिड से जोड़ने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें, ग्रिड सब-स्टेशन और हरित ऊर्जा गलियारे चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, चुरू और फलोदी जैसे सौर उत्पादन क्षेत्रों में ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित कोई समस्या पाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सौर ऊर्जा एकीकरण के लिए बैटरी भंडारण प्रणाली, पंपयुक्त जल भंडारण या ग्रिड स्थिरीकरण प्रौद्योगिकी को लागू करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार राजस्थान को राष्ट्रीय हरित ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किसी बड़े निवेश सम्बंधी नीतिगत सुधार या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में काम कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.10.2025 तक**,** राजस्थान की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 54.77 गीगावाट थी। दिनांक 31.03.2020 को राजस्थान की संस्थापित उत्पादन क्षमता 22.02 गीगावाट थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात दिनांक 31.03.2020 से दिनांक 31.10.2025 तक**,** राजस्थान में 32.75 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। दिनांक 31.03.2020 से दिनांक 31.10.2025 तक राजस्थान की वार्षिक स्थापित उत्पादन क्षमता **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) : पारेषण अवसंरचना निर्माण के लिए, राजस्थान सहित 10 राज्यों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा अंतःराज्यीय हरित ऊर्जा गलियारा (जीईसी) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। जीईसी चरण-**I** के तहत, राजस्थान में लगभग **2,400** मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की निकासी के लिए **1,054** सीकेएम पारेषण लाइनें और **1,915** एमवीए क्षमता के सबस्टेशन चालू किए गए हैं।

जीईसी फेज़-II के तहत, 2,478 मेगावाट आरई क्षमता निकासी के लिए 659 सीकेएम पारेषण लाइनें और 2,191 एमवीए क्षमता वाले सबस्टेशन कार्यान्यावनाधीन हैं।

जीईसी-**I** और जीईसी-**II** के तहत विकसित की गई/विकसित की जा रही पारेषण लाइनों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दी गई हैं।

(ग) : ग्रिड अवसंरचना को सुदृढ़ करने और राज्य से पुनः निकासी की सुविधा के लिए राजस्थान में कुल 33 अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) के अनुसार, राजस्थान के विभिन्न आरई परिसरों में आईएसटी पर लगभग 133 गीगावाट कनेक्टिविटी आवेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार, लगभग 73 गीगावाट क्षमता के लिए पारेषण प्रणाली विकसित की गई है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और शेष 60 गीगावाट क्षमता के लिए, पारेषण स्कीम अभी तक विकसित नहीं की गई है।

इसके अलावा, राजस्थान राज्य सरकार के अनुसार, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएनएल) द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुसार अंत:राज्य आरई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

(घ) : ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने और परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा के लिए वर्ष 2031-32 तक कुल 73.93 गीगावाट/411.40 गीगावॉट घंटा ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता है जिसमें 47.24 गीगावाट/236.22 गीगावॉट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता और 26.69 गीगावाट/175.18 गीगावॉट घंटा पंप भंडारण प्रणाली (पीएसपी) का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आरई क्षमता वृद्धि की बड़ी राशि के कारण देश में यह ऊर्जा भंडारण क्षमता 470 गीगावाट/2674 गीगावाट घंटा (360 गीगावाट/1984 गीगावाट घंटा बीईएसएस और 110 गीगावाट/690 गीगावाट घंटा पीएसपी) तक बढ़ने की उम्मीद है।

राजस्थान में, 1000 मेगावाट/2000 मेगावाट घंटा बीईएसएस की स्थापना की जा रही है, जिसमें से 500 मेगावाट/1000 मेगावाट घंटा क्षमता को राज्य घटक के तहत सफल विकासकर्ताओं को ₹27 लाख प्रति मेगावाट घंटा की वीजीएफ सहायता के साथ अवार्ड किया गया है, और शेष 500 मेगावाट/1000 मेगावाट घंटा को एनवीवीएन द्वारा राजस्थान में स्थापना के लिए केंद्रीय घटक (सीपीएसयू स्कीम) के तहत अवार्ड किया गया है।

इसके अतिरिक्त पीएसडीएफ स्कीम के तहत विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.06.2025 को 18 लाख रुपये प्रति मेगावाट की वीजीएफ सहायता के साथ राजस्थान को 4000 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता आवंटित की है। इसमें से 1000 मेगावाट / 2000 मेगावाट घंटा के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) द्वारा दिनांक 31.10.2025 को जारी किया गया है, जबकि शेष 500 मेगावाट / 2000 मेगावाट घंटा के लिए मूल्य बोलियां खोली गई हैं।

इसके अलावा, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 (आरआईसीईपी-2024) के तहत, राज्य में ऊर्जा भंडारण और जल परियोजनाओं के लिए वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इस नीति के तहत, पुगल सौर ऊर्जा पार्क में 2450 मेगावाट/5000 मेगावाट घंटा ऊर्जा भंडारण प्रणाली क्षमता के साथ 2,450 मेगावाट सौर क्षमता कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) : राज्य सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 (आरआईसीईपी-2024) जारी की है। इस नीति का उद्देश्य हरित ऊर्जा पारितंत्र प्रणाली स्थापित करने और इस क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों के लिए एक प्रणालीगत प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करना है। इसके अलावा, राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने के लिए राज्य में आरई सहित निवेश के लिए राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम (आरआईपीएस-2024) शुरू की है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 757

अनुबंध-I

दिनांक 31.03.2020 से दिनांक 31.10.2025 तक राजस्थान की वार्षिक संस्थापित उत्पादन क्षमता

वर्ष	संस्थापित उत्पादन क्षमता (जीडब्ल्यू)
31-03-2020	22.02
31-03-2021	22.64
31-03-2022	30.13
31-03-2023	35.74
31-03-2024	40.09
31-03-2025	47.12
31-10-2025	54.77

<u>लो.स.अतारां.प्र.सं. 757</u>

<u>अनुबंध-II</u>

जीईसी-**I** और जीईसी-**II** के तहत विकसित की गई/विकसित की जा रही पारेषण लाइनों का विवरण:

I. हरित ऊर्जा गलियारा चरण-I:

i. संबंधित पारेषण लाइनों के साथ जैसलमेर-2 में 400 केवी जीएसएस।
ii. संबंधित लाइनों के साथ 220 केवी जीएसएस छतरगढ़।
iii. 220 केवी डी/सी अकल- जैसलमेर-2 लाइन (75 किमी)।
iv. 400 केवी जीएसएस जैसलमेर-2 पर 400 केवी डी/सी अकल-जोधपुर (नई) लाइन के एक सर्किट का लिलो (लगभग10किमी)।
v. 1 क्वाड 400 केवी मूस फीडर बे और 400 केवी जीएसएस जैसलमेर-2 पर 220 केवी की 02 बे।
vi. अकल और जैसलमेर-2 में (+) 3x500 एमवीए और (-) 2x315 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति और अन्य कार्य।
vii. 2x160 एमवीए, 220/132 केवी ट्रांसफार्मर और 1x 40/50 एमवीए 132/33 केवी ट्रांसफार्मर की आपूर्ति और पारेषण लाइनों के लिए कंडक्टर की आपूर्ति।

II. हरित ऊर्जा गलियारा चरण-II:

i. संबंधित पारेषण लाइन के साथ 400 केवी जीएसएस उदयपुर का निर्माण और संबंधित पारेषण लाइनों के साथ 220 केवी जीएसएस डूंगरपुर का निर्माण।
ii. संबंधित पारेषण लाइन के साथ 400 केवी जीएसएस हनुमानगढ़ का निर्माण।
iii. बे वर्क और संबंधित पारेषण लाइनों के साथ दलोत (अपग्रेड) [जिला- प्रतापगढ़] में 220/132 केवी, 1x160 एमवीए जीएसएस का निर्माण।

नोट:
जीएसएस: ग्रिड सब-स्टेशन
लिलो: लाइन आउट में लाईन
ईटीसी: निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-762

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में पदोन्नति नीति

†762. श्री गोडम नागेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2023-2024 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) में ई-8-ई-9 के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) के गठन में देरी हुई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2025 की पदोन्नति नीति के पूर्वव्यापी रूप से लागू होने के कारण वरिष्ठ अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु मानदंडों को नकारते हुए पदोन्नति संबंधी मूल्यांकन के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना नियुक्त किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई-7-ई-8 में एससी/एसटी पदोन्नति का नहीं होना और ई-5-ई-6 में एसटी अधिकारी को पदोन्नति से वंचित करना योग्यता की आड़ में सुनियोजित बहिष्करण को दर्शाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आपराधिक मामले का सामना कर रहे एक अधिकारी को पदोन्नति पैनल में रखा गया और बरी होने के तुरंत बाद पदोन्नत किया गया था; और

(च) क्या सरकार मानती है कि पीएफसी में इन बदलावों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सुस्थापित पदोन्नति सम्बंधी मानदंड कमजोर हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन(पीएफसी) में वर्ष 2023 के लिए ई-8 से ई-9 को छोड़कर सभी स्तरों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) प्रक्रिया, समय पर आयोजित की गई थी, क्योंकि डीपीसी की

कट-ऑफ तिथि (01.07.2023) को ई-9 स्तर पर कोई रिक्तियां नहीं थीं। पीएफसी की जनशक्ति योजना और पदोन्नति नीति में संशोधन वर्ष 2024 (01.07.2024) के लिए डीपीसी की कट-ऑफ तिथि से पहले निदेशक मंडल (बीओडी) के साथ विचार-विमर्श और चर्चा के अधीन था, जिसे दिसंबर 2024 में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद 2024 और 2025 के लिए डीपीसी प्रक्रिया अप्रैल 2025 में पूरी की गई थी।

समग्र व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए जनशक्ति योजना और निष्पादन प्रबंधन सहित पीएफसी की कॉर्पोरेट रणनीति तैयार करने में सहायता करने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को बोली आमंत्रित करने के बाद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। पीएफसी में ई-7 से ई-8 तक की पदोन्नति निर्धारित नीति के अनुसार रिक्ति आधारित तथा पदोन्नत किए जाने वाले परिभाषित अधिकारियों के अधिकतम प्रतिशत की सीमा के अनुसार सीमित होती है। ई-5 से ई-6 पदोन्नति में भी, पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों के अधिकतम प्रतिशत की सीमा को नीति में परिभाषित किया गया है। आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले किसी भी अधिकारी की उम्मीदवारी पर तब तक विचार नहीं किया जाता है जब तक कि उसे अदालत द्वारा अपराध से बरी नहीं कर दिया जाता है।

इसके अलावा, पदोन्नति रिक्ति आधारित है और पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों के अधिकतम प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित नीति के अनुसार है। तदनुसार, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को उपलब्ध पदों के आधार पर पदोन्नति के लिए बिना किसी भेदभाव के पदोन्नत किया जाता है/छोड़ दिया जाता है।

उपयुर्क्त के मद्देनजर, पीएफसी की पदोन्नति नीति निष्पक्षता, समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू की जाती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-811

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में विद्युत पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

†811. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में अंतर-राज्य प्रसारण और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु किसी केंद्रीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रयोजन के लिए चल रही और स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) स्कीम, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अंतः राज्यीय पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।

पारेषण क्षेत्र में, आगामी नवीकरणीय क्षमता के एकीकरण में मदद करने और पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 16.07.2015 को आंध्र प्रदेश में जीईसी चरण-I स्कीम के अंतर्गत 3.15 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए

परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में पारेषण लाइनों के 888 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) और सबस्टेशनों पर परिवर्तन क्षमता के 1968 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) शामिल हैं। इसमें से, 884 सीकेएम लाइन और 1968 एमवीए पारेषण क्षमता पूरी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश को 361.25 करोड़ रुपये के आवंटित केंद्रीय अनुदान में से, अब तक 302.48 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

पीएसडीएफ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों जैसे संकुलन राहत, प्रतिक्रियाशील विद्युत उपकरण प्रतिष्ठान, सुरक्षा प्रणाली आदि के लिए 427.09 करोड़ रुपये की लागत से 07 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके निमित 302.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वितरण क्षेत्र में, भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, सौभाग्य जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का समर्थन कर रही थी। इन स्कीमों के अंतर्गत, देश में विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को निष्पादित किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 6.65 लाख परिवारों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश में 1.82 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत, जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। दोनों स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत आवंटित कुल निधि 1523.44 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में, देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की थी। इस स्कीम का उद्देश्य 12-15% के अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करना और आपूर्तित विद्युत की प्रत्येक यूनिट पर कम-वसूली को शून्य करना है। वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के उन्नयन के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण के लिए 10,708 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 4,128 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मंजूरी दी गई है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-842
दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत पारेषण में होने वाली लाइन क्षति

842. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत पारेषण में होने वाली लाइन क्षति का प्रतिशत तथा ऐसी हानि के प्रमुख कारण क्या हैं, इस क्षति को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितने गांव बिजली सुविधा से वंचित हैं, इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास बिजली सुविधा से वंचित इन गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में बिजली सुविधा से वंचित गांवों एवं ग्राम बस्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इनका विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार की उन किसानों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कोई योजना है जिनकी भूमि उत्पादन केन्द्रों से आने वाली पारेषण लाइनों के मार्ग में आती है क्योंकि ऐसी भूमि पर किसान खेती के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सकते और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से **(घ)** : देश में पारेषण हानि लगभग 3-4% के बीच परिवर्तनीय होती है। नवंबर, 2025 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित सामान्य समीक्षा के अनुसार, देश में वर्ष 2023-24 के दौरान क्षेत्र-वार पारेषण हानि निम्नानुसार है:

क्षेत्र	**पारेषण हानियाँ (%)**
उत्तरी क्षेत्र	3.15
पश्चिमी क्षेत्र	3.12
दक्षिणी क्षेत्र	3.46
पूर्वी क्षेत्र	4.24
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3.89

इसके अतिरिक्त, पारेषण और वितरण (टी एंड डी) हानियां जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान पारेषण हानियां भी शामिल हैं, लगभग 17.63% हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य-वार टी एंड डी हानियां **अनुबंध** पर है।

केंद्रीय और राज्य पारेषण यूटिलिटी प्रणाली में पारेषण हानियों को और कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रही हैं:

- मौजूदा प्रणाली का नेटवर्क विस्तार और संवर्धन
- उच्च वोल्टेज प्रणाली को अपनाना
- वोल्टेज प्रोफ़ाइल में सुधार और नुकसान को कम करने के लिए प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रबंधन और बेहतर प्रचालन प्रथाएं
- पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के उपयोग सहित पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण

भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडी), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाया है, ताकि उन्हें सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, देश के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अब चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों का समर्थन कर रही है। जहां भी व्यवहार्य पाया गया वहाँ पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत पहचाने गए विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित परिवारों और डीए-जेजीयूए (भारती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत आदिवासियों से संबंधित परिवारों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए कार्य आरडीएसएस के अंतर्गत योजना दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत परिवारों और उनके विद्युतीकरण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**आरडीएसएस के विभिन्न प्रमुख**	**घर**	
		स्वीकृत	**प्रगति**
1.	अतिरिक्त घर	251487	1317
2.	पीएम-जनमन	316	195
3.	डीए-जेजीयूए	6897	58
कुल		258700	1570

डिस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तथापि, सर्वेक्षण के बाद, आरडीएसएस के अंतर्गत आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में निम्नलिखित घरों को लिया गया था और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**आरडीएसएस के विभिन्न प्रमुख**	**घर**	
		स्वीकृत	**प्रगति**
1.	अतिरिक्त घर	645	68
2.	डीए-जेजीयूए	285	00
कुल		930	68

(ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, पारेषण लाइन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है, और भूमि का स्वामित्व जिस पर पारेषण लाइन गुजरती है, भूस्वामी के पास बना रहता है। पारेषण कार्यों के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए मुआवजा संबंधित राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 842

अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य-वार टीएंडडी हानियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	% में टी एंड डी हानियां
चंडीगढ़	13.83
दिल्ली	15.13
हरियाणा	17.96
हिमाचल	15.63
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	48.08
पंजाब	14.03
राजस्थान	22.85
उत्तर प्रदेश	19.02
उत्तराखंड	18.31
छत्तीसगढ़	17.04
गुजरात	12.84
मध्य प्रदेश	22.85
महाराष्ट्र	15.38
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	10.75
गोवा	10.48
आंध्र प्रदेश	15.59
तेलंगाना	12.92
कर्नाटक	17.33
केरल	15.55
तमिलनाडु	17.71
पुडुचेरी	14.12
लक्षद्वीप	15.44
बिहार	21.54
झारखंड	19.27
ओडिशा	21.26
पश्चिम बंगाल	17.18
सिक्किम	24.16
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.55
अरुणाचल प्रदेश	34.28
असम	17.60
मणिपुर	19.43
मेघालय	20.63
मिजोरम	22.65
नागालैंड	19.41
त्रिपुरा	28.70
अखिल भारत	17.63

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-844

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय

†844. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और जबावदेही बढ़ाने के लिए विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024 के अंतर्गत क्या विशिष्ट उपाय शुरू किए गए हैं; और

(ख) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि के लिए नए रिपोर्टिंग मानदंडों से विद्युत वितरण कंपनियों की नियामक निगरानी और वित्तीय स्थिरता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार वितरण क्षेत्र के लिए वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष विभिन्न नीतिगत क्रियाकलापों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस दिशा में, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025 जारी किया है ताकि वितरण क्षेत्र में लेखांकन के लिए एक समान प्रावधान किया जा सके। ये नियम दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत विद्युत वितरण यूटिलिटी को अपने वित्तीय विवरणों के साथ अतिरिक्त प्रकटीकरण करके वित्तीय पारदर्शिता बढ़ानी होगी।

प्रमुख आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनियामक आस्थगित लेखों के लिए बेहतर लेखांकन प्रथाएं,
ii. पुराने या नए के आधार पर वसूल न किए गए दावों के लिए अनिवार्य प्रावधान, और
iii. आपूर्ति और राजस्व की लागत (एसीएस बनाम एआरआर) और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों के बीच अंतर पर रिपोर्टिंग।

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण (एडीएस) को वित्तीय विवरणों के लेखों के तहत संलग्न करने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि वितरण यूटिलिटी के प्रचालन और वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने में सहायता मिल सके।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-866

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के अन्तर्गत निधि जारी करने में विलंब

†866. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) उन राज्यों की सूची क्या है जिनके आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युत अवसंरचना हेतु निधि जारी करने के प्रस्ताव अनुमोदन अथवा संवितरण हेतु लंबित हैं; और

(ग) क्या निधि जारी होने में विलंब के कारण वर्तमान में चल रही ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम के तहत निधि जारी करना इस बात पर निर्भर करता है कि वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बिना किसी देरी के निधि जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्य हासिल करें और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रत्येक राज्य/डिस्कॉम के लिए अनुकूलित कार्य योजनाओं के आधार पर एक परिणाम मूल्यांकन ढांचा विकसित किया गया है ताकि निधि जारी करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा सके। आज की तिथि तक, वितरण अवसंरचना कार्यों के संबंध में किसी भी राज्य से कोई दावा इस मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

अब तक इस स्कीम के तहत जारी किया गया कुल केंद्रीय अनुदान लगभग 37,000 करोड़ रुपये है जो कुल संस्वीकृत जीबीएस का लगभग 38% है। वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आरडीएसएस के तहत राज्यों को संस्वीकृत और जारी किया गया केंद्रीय अनुदान **अनुबंध** पर दिया गया है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 866

अनुबंध

वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (अब तक) में आरडीएसएस राज्य-वार संस्वीकृति (संचयी) एवं जारी निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत जीबीएस (संचयी)	वित्त वर्ष 2023-24 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2024-25 में जारी निधि	वित्त वर्ष 2025-26 में जारी निधि (दिनांक 28.11.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार	428	0	0	41
2	आंध्र प्रदेश	7,240	311	901	204
3	अरुणाचल प्रदेश	992	0	43	153
4	असम	4,107	635	769	816
5	बिहार	6,748	1,268	1,207	985
6	छत्तीसगढ़	3,217	178	304	382
7	दिल्ली	196	0	0	0
8	गोवा	243	15	0	26
9	गुजरात	5,538	507	670	454
10	हरियाणा	4,076	35	205	139
11	हिमाचल प्रदेश	2,561	6	80	459
12	जम्मू और कश्मीर	4,803	349	624	828
13	झारखंड	2,272	0	222	348
14	कर्नाटक	27	0	5	0
15	केरल	3,278	22	153	284
16	लद्दाख	788	79	0	3
17	मध्य प्रदेश	7,347	1,006	820	1,235
18	महाराष्ट्र	13,182	820	1,614	604
19	मणिपुर	602	20	58	48
20	मेघालय	1,195	51	146	98
21	मिजोरम	351	22	27	24
22	नागालैंड	479	1	10	43
23	पुडुचेरी	107	0	0	14
24	पंजाब	3,284	115	114	334
25	राजस्थान	12,902	531	1,094	821
26	सिक्किम	409	24	12	68
27	तमिलनाडु	9,139	97	448	0
28	तेलंगाना	72	2	0	34
29	त्रिपुरा	619	36	91	138
30	उत्तर प्रदेश	16,570	1,801	1,822	1,714
31	उत्तराखंड	2,444	11	116	483
32	पश्चिम बंगाल	6,423	221	601	49
कुल		**1,21,637**	**8,160**	**12,158**	**10,829**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 896

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत संशोधन अधिनियम

†896. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच की है कि विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 में परिकल्पित एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस जारी करने से सरकारी वितरण कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा जो घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए उच्च शुल्क का कारण बनेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के तहत, विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस प्रदान करने की सुविधा पहले से ही मौजूद है। हालांकि, वर्तमान में, एक ही क्षेत्र में लाइसेंसधारियों को अलग-अलग नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे दोहराव और अन्यथा खर्चे होते हैं। इसका समाधान करने के लिए, वितरण लाइसेंसधारियों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा लागू नेटवर्क शुल्क और नियामक निरीक्षण के भुगतान के अधीन, अपने या साझा नेटवर्क के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है।

इस प्रस्ताव में मौजूदा सरकारी या निजी वितरण लाइसेंसधारियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि वितरण नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं को एसईआरसी द्वारा निर्धारित नेटवर्क शुल्क देने होंगे।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 65 के तहत, राज्य सरकारों द्वारा घरेलू और कृषि सहित विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देकर सहायता की छूट रहेगी, ताकि किसी भी उपभोक्ता समूह पर अनुचित बोझ न पड़े।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-903

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

बिहार में विद्युतीकरण

903. श्री तारिक अनवर:

श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कटिहार जिले सहित बिहार में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण हेतु कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) उक्त राज्य में कितने गांवों और घरों तक अभी भी पूर्ण विद्युतीकरण होना बाकी है;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइनों और सबस्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पर्याप्तता के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को ग्रामीण बिहार में बार-बार बिजली कटौती या कम वोल्टेज की रिपोर्ट मिली है;

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण वितरण अवसंरचना को मजबूत करने और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार के पास कटिहार जिले सहित बिहार में 'सौभाग्य' और 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) जैसी योजनाओं के लक्ष्यों और वास्तविक लाभार्थियों के आंकड़े है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, अत: सभी उपभोक्ताओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर, विद्युत लाइन और सबस्टेशन जैसी अवसंरचना की उपलब्धता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने सहित विद्युत की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/विद्युत वितरण यूटिलिटी की है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना की उचित उपलब्धता और पर्याप्तता है। इसके अलावा, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बिहार के

ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पावर आउटेज या लगातार कम वोल्टेज की कोई बड़ी समस्या नहीं है। राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) के माध्यम से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की दैनिक औसत अवधि 22.22 घंटे थी।

भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के तहत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें बिहार राज्य के 2,906 गांव और कटिहार जिले के 934 गांव शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीडीयूजीजेवाई के तहत और उसके बाद सौभाग्य के तहत दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान बिहार राज्य में 32,59,041 घरों सहित कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आगे भी मदद कर रही है। इसके अलावा, स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान) के तहत विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिह्नित घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी घरों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के कार्य को मंज़ूरी दी गई है। अब तक, बिहार राज्य में 42,621 घरों के विद्युतीकरण के लिए 301 करोड़ रुपये सहित 13.65 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

(ङ) : भारत सरकार ने विभिन्न स्कीमों जैसे डीडीयूजीजेवाई, जहां सभी गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी; (ख) आईपीडी, जहां शहरी क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने हेतु विद्युत वितरण में एक प्रमुख उपाय के रूप में इसकी शुरूआत की गई और (ग) घरों के विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य के तहत निधि के आवंटन के माध्यम से वितरण संस्थाओं द्वारा वितरण अवसंरचना के उन्नयन और निर्माण की सुविधा प्रदान की है। देश की वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुल मिलाकर 1.85 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। यह स्कीम नेटवर्क सुदृढ़ीकरण और प्रणाली स्वचालन सहित वितरण नेटवर्क के उन्नयन में परिणामोन्मुखी निवेश के माध्यम से वितरण क्षेत्र में तकनीकी और

वाणिज्यिक नुकसान में सुधार पर केंद्रित है। इस स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित वितरण अवसंरचना कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिहार राज्य के लिए 12,581 करोड़ रुपये और कटिहार जिले के लिए 278 करोड़ रुपये शामिल हैं। स्वीकृत कार्यों में सबस्टेशन/ वितरण ट्रांसफार्मर का निर्माण/उन्नयन, कृषि फीडर का पृथक्करण, कंडक्टरों का उन्नयन, घरेलू विद्युतीकरण कार्य आदि शामिल हैं।

(च) : बिहार के कटिहार जिले में स्कीमवार विद्युतीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

डीडीयूजीजेवाई	2,13,906 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों का विद्युतीकरण
सौभाग्य	3,47,597 घरों का विद्युतीकरण

****